

राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

एक दिवसीय सेमिनार "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015"

| समय | विषय |
|------------------|--|
| 10:00 - 10.45 AM | रजिस्ट्रेशन व उद्घाटन |
| 10:45 - 11:30 AM | किशोर न्याय की अवधारणा |
| 11:30 - 11:45 AM | Tea Break |
| 11:45 - 12:30 PM | किशोर न्याय व्यवस्था एवं पुलिस की भूमिका (बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय, अपराधों का वर्गीकरण और नामोदिष्ट न्यायालय) |
| 12:30 - 01:15 PM | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के महत्वपूर्ण प्रावधान |
| 01:15 - 02:30 PM | Lunch Break |
| 02:30 - 03:15 PM | मानव तस्करी एवं यौन शोषण के लिए बालकों का दुर्व्यापार : एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट व मानव तस्करी की रोकथाम में पुलिस की भूमिका विषय पर प्रतिभागियों में परिचर्चा |
| 03:15 - 04:00 PM | आपराधिक न्याय प्रणाली में बालकों के अधिकार, बालकों के साथ पुलिस का व्यवहार : पीड़िता, गवाह, विधि उल्लंघनकर्ता किशोर व अन्य (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 30 व अन्य) |
| 04:00- 05:00 PM | फीडबैक एवं समापन |